

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 05 मार्च 2018

विषय:- कन्नौज में एन0एच0-91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति।

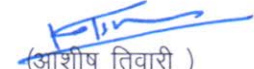
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2436/एन0 एच0-91/26451/2017, दिनांक-20-02-2018 के संदर्भ में कन्नौज में एन0एच0-91 किमी0 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
✓ विशेष सचिव

संख्या-पी- 43 (1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर।
- 3- जिलाधिकारी कन्नौज।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज।
- 5- परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0 पी0आई0यू0अलीगढ़।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

कन्नौज में एन0एच0-91 किमी0 289 से 356 तक
(नवीगंज से मित्ररोगपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण
हेतु प्रभावित 99.328 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर
वाणिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व
24281 पौधों के पातन की अनुमति ।

Proposal संख्या FP/UP/Road/26451/2017

राज्य सरकार की सिफारिशों वन अनुभाग 2 के शारानादेश संख्या पी-38/14-2-2017-
800(33)/2018, दिनांक 2018 के द्वारा
प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान किया गया।

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयीं
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

05/3/2018

हस्ताक्षर
(आशीष लिबरी)
विशेष सचिव
वन एवं वन्य जीव विभाग
उ० प्र० शासन।